

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठारीन अधिकारी:- श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 33/18

1- श्रीमती कंकु 40 गोपी पाट निवासी- दांता लुहारिया, तहसील- माण्डल
-----प्रार्थी

वनाम

1- श्री कलीचन्द 20 श्री लक्ष्मीलाल व्यास निवासी- दांता लुहारिया, तहसील- माण्डल [वर्ग 1]
-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक:- 23.3.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शीलका रोड़ा पटवार हल्का लुहारिया तहसील मांडल/करेडा में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं 205/154 से 02 बीघा 10 बिस्वा कुल कित्ता 0.1 रकबा 0.2 बीघा 10 बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.1.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी रद्दीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेनेन्सू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उवत पटवार हल्का उवत तहसील मांडल/करेडा में स्थित आराजी नम्बर उवत कुल कित्ता उवत रकबा उवत बीघा उवत बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारिया को 3000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिथति को बनाये रखते हुये मुरतकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी

माण्डल मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर चलाना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल मांडल जिला भीलवाड़ा